कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा

पत्रांक 3086/14–1(26962/2017),आगरा, दिनांक, 25 ,जनवरी, 2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय :– आगरा में फतेहाबाद रोड पर अबन्तीवाई चौराहे से कचौराघाट मार्ग (एस0एच0–62) के कि0मी0 11 का 6 लेन चौड़ीकरण हेतु 1.40 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 126 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक 719/आगरा/26962/2017 दिनांक 04.10.2018 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा का 2868/14–1 दिनांक 31.12.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा के सन्दर्भित पत्र जो इस कार्यालय में दिनांक 14.01.2019 को प्राप्त हुआ। प्राप्त आख्या के आधार पर संस्तुति सहित आख्या निम्नानुसार प्रेषित है :–

क0 सं0	आपत्ति	निस्तारण आख्या
1	2	3
1	दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन संलग्न है किन्तु अनुरक्षण 10 वर्ष के स्थान पर 08 वर्ष हेतु ही समावेशित किया गया है।	दुगने अवगत वनभूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित संलग्न कर प्रेषित है।
2	मार्ग चौड़ीकरण का एक लीनियर प्लान जिसमें विद्यमान आर0ओ0डब्ल्यू0 के सापेक्ष विद्यमान मार्ग, प्रस्तावित आर0ओ0डब्ल्यू0 एवं चौड़ीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु अवशेष वनभूमि को मीटर में दर्शाया गया हो प्रस्ताव के साथ संलग्न नही है। ऑनलाइन अपलोड करते हुए प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें एवं चौड़ीकरण के उपरान्त मार्ग के दोनों ओर अवशेष संरक्षित वनभूमि की गणना भी प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।	मार्ग चौड़ीकरण का लीनियर प्लान की प्रति संलग्न है।
3	ऑनलाइन पार्ट–2 में अपलोड क्षतिपूरक वनीकरण का डिजिटल मैप, सर्वे ऑफ इण्डिया की टोपोशीट बिना हस्ताक्षर के अपलोड की गयी है, जो सुसंगत नहीं है। प्रभागीय निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित कराकर ऑनलाइन अपलोड कराने का कष्ट करें।	ऑनलाइन पार्ट–2 में क्षतिपूरक वनीकरण की टोपोसीट एवं डिजीटल मैप हस्ताक्षर युक्त अपलोड कर दी गयी है।
4	ऑनलाइन पार्ट–2 में अपलोड क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन प्रभागीय निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। प्रभागीय निदेशक से हस्ताक्षरित कराकर ऑनलाइन अपलोड कराने का कष्ट करें।	ऑनलाइन पार्ट–2 में हस्ताक्षर युक्त क्षतिपूरक वनीकरण योजना अपलोड कर दी गयी है।
5	प्रस्तावित स्थल टी0टी0जैड0 क्षेत्रान्तर्गत है, किन्तु वृक्षों के पातन हेतु सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कर संलग्न नहीं की गयी है।	प्रस्तावित स्थल में वृक्षों के पातन हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने हेतु मा0 न्यायालय में आई0ए0 दाखिल की गयी है जिसकी छायाप्रति संलग्न है, परन्तु वृक्षों के पातन की अनुमति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा से संशोधित प्रस्ताव के अभिलेख 03 प्रतियों में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जावेद अख्तर)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक / समदिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में इस आशय से प्रेषित कि सन्दर्भित पत्र अत्यधिक विलम्ब से इस कार्यालय को प्राप्त कराने का औचित्य सहित कारण स्पष्ट करें ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता (नि0ख0–1) लोक निर्माण विभाग, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

(जावेद अख्तर)
वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।